न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवानाजिला बाडमेर

पीठासीन अधिकारी :–श्रीमती कुसुमलता चौहान (आर.ए.एस.)

राजस्व आवेदन संख्याः– 21 / 2017

प्रार्थीगणः–

1. सकीया उर्फ सकाराम पुत्र गणेशाराम जाति वजीर
2. नरपतसिह पुत्र पुंजाराम जाति वजीर
3. जयसिह पुत्र पुंजाराम जाति वजीर
4. सुकी देवी बेवा पुंजाराम जाति वजीर निवासी ईटवाया तहसील सिवाना जिला बाडमेर।

बनाम

विप्रार्थीगणः–

1. तिलोकाराम पुत्र नागाजी जाति मेघवाल नि. ईटवाया
2. पुखराज पुत्र मसराराम जाति पुरोहीत निवासी ईटवाया
3. जामताराम पुत्र प्रभुजी जाति पुरोहीत निवासी ईटवाया
4. तगाराम पुत्र प्रभुजी जाति पुरोहीत निवासी ईटवाया
5. गेबाराम पुत्र प्रभुजी जाति पुरोहीत निवासी ईटवाया
6. शाखा प्रबन्धक एस.बी.आई.शाखा पादरू।
7. राजस्थान सरकार जरीये भुमि धारक तहसीलदार सिवाना।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकार अधिनियम

उपस्थित :–1. **श्री कैलाश पुरी अधिववक्ता प्रार्थीगण**

2.श्री अचलाराम थोरी अधिवक्ताविप्रार्थी संख्या 1 ता 5

–: आदेश :–

दिनांक :– 16/07/2021

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 1302 रकबा 33.09 बीघा सरहद मौजा ईटवाया पटवार मण्डल पादरू तहसील सिवाना में अवस्थित है। जिसकी पूर्वी सीमा से लगता खेत खसरा नम्बर [illegible] नम्बर 1307 विप्रार्थी संख्या 2 ता 5 की खाते[illegible] माठ के किनारे होते होते तक प्रार्थीगण के खे[illegible] विप्रार्थीगण[illegible] खसरा सख्या 1306 की माठ पर बनी हुई ग्रेव[illegible]डक तक जाता है। उ[illegible] एक मात्र विकल्प है जो प्रार्थीगण के खातेदारी खेत मे आवगमन हेतु नजदीकी एंव सुलभ रास्ता है प्रार्थीगण ने अपने आवेदन पत्र के संलग्न प्रस्तुत नजरी नक्शा परिशिष्ट''अ''में बरंग लाल से दर्शाया है। प्रार्थीगण कृषि कार्य हेतु इसी रास्ते से होकर सडक मार्ग तक आवगमन करता है इसके अतिरिक्त उसके पास इस हेतु

Signature Not Verified
Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2021.09.02 18:14:56 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बाड़मेर)

अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है। अतः प्रार्थीगण ने विप्रार्थीगण के खेत मे से प्रचलित उक्त रास्ते की भूमि को गै.मु.रास्ते के रूप में सरकारी खाते मे दर्ज करवाने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। तहसीलदर सिवाना द्वारा अपने पत्रांक राजस्व/2020/48 दिनांक 28.01.2020 के जरिये मौका रिपोर्ट पेश की गई।

विप्रार्थीगण के नोटिस तामील सुदा प्राप्त । विप्रार्थीगण संख्या 2 ता 5 की ओर से वकील श्री अचलाराम थोरी उपस्थित हुये व विप्रार्थीगण की ओर से जबाब पेश कर मौके पर प्रार्थीगण के कथनानुसार रास्ता उपलब्ध न होकर पडौसी खातेदार खेत खसरा संख्या 1303 की खातेदारी भूमि के माठ के किनारे –किनारे जबाब प्रार्थना पत्र के संलग्न नजरी नक्शा परिशिष्ट "ब" में वर्णित स्थान बरंगलाल मार्क अ से ब तथा स से द स्थान से होकर मौके पर आवगमन होना बताया गया एवं उसी के अनुरूप रास्ता दिये जाने हेतु कथन किया साथ ही तहसीलदार सिवाना के द्वारा पेश मौका फर्द रिपोर्ट पर आपत्ति करते हुये पुनः फर्द मंगाये जाने का निवेदन किया जिस पर आपत्ति को ध्यान में रखते हुये स्वयः पीठासीन अधिकारी द्वारा पुनः मौका देखा गया।

दिनांक 15.02.2021 को विप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 01 नियम 10 सीपीसी का प्रार्थना पत्र पेश कर वादग्रस्त खातेदारी के खेत के बदिशा उत्तर में स्थित में खसरा संख्या 1303 के खातेदार को पक्षकार बनाये जाने हेतु प्रार्थना पत्र पेश कर कथन किया कि प्रार्थीगण खेत खसरा संख्या 1303 के माठ के किनारे –किनारे नक्शा परिशिष्ट "ब" मे वर्णित बरंग लाल स्थान से आवगमन कर रहे है जिस पर दोनो पक्षकारन के अधिवक्ता को सुना गया पत्रावली का अवलोकन व मनन किया गया पत्रावली पर पेश मौका फर्द दिनांक का अवलोकन किया गया बाद अवलोकन मौका फर्द से राजस्व कर्मचारियों व अधिकारी द्वारा जो रिपोर्ट पेश की गई उसमें विप्रार्थीगण के द्वारा पेश तथ्यों के अनुरूप मौके पर बरंग लाल स्थान पर आवगमन बाबत कोई उल्लेख नहीं है साथ ही मौका फर्द स्वंय विप्रार्थीगण की उपस्थित [illegible] गई है उसमें भी मौके पर विकल्पिक रास्ते के तोर [illegible] खातेदारी के मध्य में से होकर जो रास्ता दर्शाया [illegible] मन के रूप मे उचित प्रतीत नही होता है जिससे विप्रार्थीगण द्वारा पेश प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यों के अनुरूप खेत खसरा संख्या 1303 के खातेदार को पक्षकार बनाया जाना उचित प्रतीत नहीं होने से विप्रार्थीगण द्वारा पेश प्रार्थना पत्र आदेश 01 नियम 10 सीपीसी अस्वीकार कर खारिज किया गया है ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2021.09.02 18:14:56 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बाड़मेर)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 251 A पर दोनो पक्षो के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई। हमने दोनो पक्षो के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी। दौरान बहस प्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने अपने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 1302 रकबा 33.09 बीघा सरहद मौजा ईटवाया तहसील सिवाना में अवस्थित है। जिसकी पूर्वी सीमा से लगता विप्रार्थी संख्या 1 ता 5 का खातेदारी खेत खसरा नम्बर 1306, 1307 की भूमि आई हुआ है जिसके माठ के किनारे होते होते रास्ता तक जाया जाता है जो आगे खसरा सख्या 1306 के माठ पर बनी हुई ग्रेवल सडक कटाण मार्ग तक स्थित है। उक्त रास्ता एक मात्र विकल्प है जो प्रार्थीगण के खातेदारी खेत मे आवगमन हेतु नजदीकी एंव सुलभ रास्ता हैविप्रार्थीगण के वकील ने प्रार्थीगण वकील की बहस में दी गई दलीलो का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि मे आवगमन हेतु रास्ता 1303 की माठ के किनारे–किनारे रास्ता प्रार्थीगण को दिया जावे । जिस पर पत्रावली का अवलोकन किया पत्रावली पर संलग्न दोनो मौका फर्द रिपोर्ट का बाद अवलोकन व मनन के यह ज्ञात हुआ कि प्रार्थीगण द्वारा मांगा गया रास्ता ही एक मात्र नजदीकी रास्ता है जबकि विप्रार्थीगण द्वारा जो रास्ता खसरा संख्या 1303 की भूमि में से होना बताया एवं दिनांक 28.01.20 के मौका फर्द के अनुरूप खसरा संख्या 1303 की भूमि मे से जो वैकल्पिक रास्ता बताया है उपरोक्त दोनो रास्ते दूरी में अधिक होने से उपरोक्त वर्णित स्थान पर रास्ते हेतु भूमि दिया जाने उचित प्रतीत नहीं होता है। जबकि प्रार्थीगण द्वारा जिस जगह रास्ते हेतु मांग की गई है उपरोक्त जगह ही रास्ते की भूमि हेतु नजदीक एवं उचित प्रतीत होता है जिससे होकर प्रार्थीगण अपने खातेदारी के खसरा संख्या 1302 मे प्रवेश कर सकते है। प्रार्थीगण के आवेदन पर गंभीरता व गहनता से मनन करते हुए तथा प्रार्थीगण की अत्याधिक आवश्यकता को देखते हुए प्रार्थीगण द्वारा चाहे गया रास्ता तहसीलदार सिवाना द्वारा प्रेषित मौका फर्द दिनांक 27.01.2020 के संलग्न नजरी नक्शा में दर्शाये बरंग लाल विप्रार्थीगण के खसरा नम्बर 1306, 1307 मे से होकर रास्ता घोषित किया जाना न्यायोचित है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र धारा 251 ए रा.का.अ.स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण के खातेदारी खेत संख्या 1[illegible]गमन हेतु बदिशा पूर्वी माठ विप्रार्थीगण के खातेद[illegible] मौजा ईटवाया [illegible] खसरा नम्बर 1306, 1307मे से प्रार्थना पत्र के संल[illegible] तहसीलदार सिवाना [illegible] द्वारा प्रेषित मौका फर्द दिनांक 27.01.2020 के संलग्न नजरी नक्शा में दर्शाये बरंग लाल प्रस्तावित रास्ता 2 गट्ठा चौडाई में रास्ता घोषित किया जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2021.09.02 18:14:56 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थीगण को उपरोक्तानुसार 2 गट्ठा चौडाई में 'रास्ता' निम्नलिखित शर्तो के अनुरूप होगा। आदेशानुसार प्रस्तावित 'रास्ते' मे समाविष्ट होने वाली कुल भूमि 2 गट्ठा में रकबे की गणना कर निर्णय दिनांक को प्रचालित दरों द्वारा निर्धारित दरों

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बाड़मेर)

की दो गुणा राशि की गणना कर तहसीलदार सिवाना द्वारा क्षतिपूर्ति का भुगतान प्रार्थीगण द्वारा विप्रार्थीगण को 'रास्ते' के रूप में दर्ज होने वाली उनकी भूमि के रकबे की क्षतिपूर्ति राशि के रूप में देय होगी जो क्स्ब द्वारा निर्धारित आदेश दिनांक को प्रचालित दर की दो गुणा राशि के बराबर होगी।

प्रार्थीगण को नए प्रस्तावित रास्ते में समाविष्ट होने वाली भूमि के कुल रकबे हेतु निर्धारित राशि विप्रार्थीगण को प्रदान करने के उपरांत ही तहसीलदार सिवाना द्वारा भौतिक रूप से नए रास्ते का सीमाकंन तथा राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जाएगा, अगर प्रभावित पक्षकर उपस्थित होकर राशि लेने से इन्कार करते हो तो प्रार्थीगण द्वारा यह राशि तहसीलदार सिवाना को प्रस्तुत की जाएगी, जिसे तहसीलदार सिवाना द्वारा विप्रार्थीगण प्रभावित पक्षकार को वितरित करने की कार्यवाही की जाएगी। नये 2 गट्ठा चौडाई के रास्ते में समाविष्ट होने वाली भूमि के सम्बन्ध में अभिधृति निर्वापित की हुई समझी जाएगी और वह भूमि राजस्व अभिलेख में 'रास्ते' के रूप में दर्ज होगी।

पक्षकारन को इस प्रकार दर्ज 2 गट्ठा चौडे रास्ते के रूप में उपयोग के अधिकार के अतिरिक्त कोई भी अन्य अधिकार अर्जित नही होंगे। रास्ते के रूप में समाविष्ट भूमि का रकबा संबंधित खसरे में से कम करते हुए राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जाएगा।

उक्त शर्तो के अधीन ही प्रार्थीगण को नया 2 गट्ठा चौडाई में रास्ता प्रार्थना पत्र के संलग्न मौका फर्द दिनांक 27.01.2020 के संलग्न नजरी नक्शा में दर्शाये बरंग लाल . . तक दर्शाये अनुसार रास्ता दिए जाने के आदेश दिए जाते है। आदेश की पालना हेतु तहसीलदार समदडी को तहरीर जारी हो।

उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बाड़मेर)

(कुसुमलता चौहान)
उपखण्ड अधिकारी सिवाना

Signature Not Verified
Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2021.09.02 18:14:56 IST
Reason: SelfAttested

आदेश आज दिनांक 16.0[illegible].2021 को [illegible] कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कुसुमलता चौहान)
उपखण्ड अधिकारी सिवाना
सिवाना (बाड़मेर)